आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं.42 एवं 43/इंदौर/2024

खजुराहो फाउंडेशन c/oशिवराम मिश्रा भार्गव भवन, खजुराहो (ग्रामीण) छतरपुर राजनगर (म.प्र)	बनाम	आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं- एएजेसीके 4702 बी PAN- AAJCK4702B		

अपीलार्थी की ओर से	कोई नहीं (लिखित आवेदन)
राजस्व की ओर से	श्री आर.के.यादव, आयकर आयुक्त-विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	03.09.2024
उद्घोषणा तिथि	03.09.2024

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षकों की ये अपीलें क्रमशः विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एबी तथा 80जी के अधीन आदेशों दोनों दिनांक 28.11.2023 के विरूद्ध निदेशित है ।

2. इन अपीलों के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दाखिल किये गये हैं जिनमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) के समक्ष आयकर अधिनियम की धारा 12एबी तथा धारा 80जी के अधीन पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये थे जिन्हें विद्वान आयकर आयुक्त (एक्जंप्शन) ने आदेश दिनांक 28.11.2023 के द्वारा खारिज किया था जिसके विरूद्ध निर्धारिती द्वारा उपरोक्त अपीलें दाखिल की गई थी । यद्यपि अब निर्धारिती प्रशासनिक कारणों से तथा संस्था के संसाधनों एवं मूलभूत उद्देश्यों को

प्राथमिकता देने के उद्देश्य से वर्तमान अपीलों का अनुसरण करना नहीं चाहता । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपीलें वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश दिनांक 03.09.2024 को सुनवाई के पश्चात खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया तथा तत्पश्चात लिखित आदेश पारित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(विजय पाल राव)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 03.09.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल